# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

**बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)**

**प्रकरण संख्या :– 87/22/प्रार्थना पत्र/बउनवान/मनभर बाई बनाम राज0 सरकार**

**जीसीएमएस संख्या 2022/281**

1. मनभरबाई बेवा श्री दुर्गालाल जाति जागा
2. भंवरलाल पुत्र श्री दुर्गालाल जाति जागा
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुर्गालाल जाति जागा
4. सत्येन्द्र कुमार उर्फ धारसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल जाति जागा

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. ओमप्रकाश सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत (राव) निवासी गोदावरी तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट**

**वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा**

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील अप्रार्थी कम 2 : श्री हरिओम प्रजापति

**दायरा दिनांक: 01.11.2022** **निर्णय दिनांक : 06.03.2025**

## निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ग्राम गोदावरी तहसील मांगरोल में स्थायी रूप से निवास करते थे लेकिन प्रतिपक्षी क्रम 1 के आतंक व लगातार परेशान करने से प्रार्थीगण ग्राम गोदावरी को छोड़कर ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में रहने लग गये है लेकिन अपनी काश्तकारी को करने के लिए नियमित रूप से ग्राम गोदावरी जाते है।
2. यह कि प्रार्थी क्रम 1 के पति व प्रार्थी क्रम 2 ता 4 के पिता स्वर्गीय श्री दुर्गालाल पुत्र प्रभूलाल को मिसल नंबर 148 दिनांक 14.12.1979 को आंवटन सलाहकार समिति कैम्प मांगरोल में साबिक खसरा नबर 2 रकबा 97 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से आवंटित रकबा काटकर 2/9 रकबा 10 बीघा आवंटित की गई थी। आवंटन के पूर्व हलका पटवारी गोदावरी द्वारा लगाई गई रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

   मान्यवर,

   " निवेदन है कि दुर्गालाल पुत्र प्रभूलाल जाति जागा का चयन अंत्योदय परिवार के द्वितीय चरण में किया गया है, इसको पूर्व में भी कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह भूमि लेना चाहता है, उक्त खसरा नंबर उद्घोषणा पत्र के मुताबिक भरा गया है जिस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है "।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

उपरोक्त टिप्पणी से साबित है कि वक्त आवंटन आराजी पर किसी का भी कब्जा या अतिक्रमण नहीं था और आवंटन कमेटी द्वारा आराजी का आवंटन दुर्गालाल के पक्ष में कर दिया।

3. यह कि आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.03.1982 के अनुसार बिना किश्त राशि जमा कराये ही आवंटन भूमि का दखल दिया जावे ऐसा आदेश श्रीमान जिलाधीश महोदय कोटा (340) के आने से दुर्गालाल को दिनांक 10.07.1982 को मौके पर जाकर गवाहान के समक्ष दखल दे दिया गया और प्रार्थीगण के पिता दुर्गालाल जी दिनांक 10.07.1982 से ही आवंटित आराजी पर काश्त करने लगे। दखल पर विवाद होने पर पुनः हलका पटवारी व कानूनगो द्वारा दुर्गालाल जी को दिनांक 17.02.1983 को दखल दिया गया। इस प्रकार दुर्गालालजी आराजी पर काबिज काश्त हो गये ।

4. यह कि प्रथम किश्त के रूप में दुर्गालाल जी ने 200/– रूपये व 23/– रूपये राजकोष में जमा करवाये, आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.06.1982 की पालना मे दिनांक 03.09.1982 को प्रार्थीगण के पिता को आवंटन आराजी का प्रमाण पत्र किश्त जारी किया गया।

5. यह कि दखलनामा देते समय राजस्व कर्मचारियों ने आवंटित भूमि का राजस्व नक्शा खसरा नंबर 2/9 रकबा 10 बीघा भूमि का साबिक खसरा नंबर 5 के ऊपर खसरा नंबर 2 के पश्चिम दिशा मे खसरा नंबर 2/9 का नक्शा कायम किया और प्रार्थीगण के पिता दुर्गालालजी यहीं पर आवंटित आराजी पर काश्त करने लगे, दखलनामा, आवंटित भूमि का राजस्व नक्शा वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है।

6. यह कि प्रार्थी क्रम 1 के पति व प्रार्थी क्रम 2 ता 4 के पिता दुर्गालाल जी की मृत्यु दिनांक 13.09.2021 को हो चुकी है और अपनी मृत्यु से पूर्व आखरी आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2021 को तहसीलदार साहब मांगरोल को दिया था जिसमे प्रार्थना की थी कि मुझे गैरखातेदारी दर्ज की जावे, इसके पूर्व कितने प्रार्थना पत्र दुर्गालाल जी ने दिये होंगे उनकी मृत्यु के साथ ही चले गये। दुर्गालाल प्रार्थना पत्र को लेकर हलका पटवारी के पास गये तो पटवारी हलका ने कहा कि तुम्हें गैरखातेदारी नहीं मिलेगी, रूपया पैसा लेकर आओ तो गैरखातेदारी दर्ज हो जावेगी और मूल प्रार्थना पत्र ही दुर्गालालजी को वापस कर दिया।

7. यह कि यहां यह उल्लेखनीय है कि दौराने सेटलमेण्ट सम्वत 2044–2063 सेटलमेण्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने साबिक खसरा नंबर 2 रकबा 97 बीघा 19 बिस्वा के मात्र 4 नवीन खसरा नंबर व रकबा दर्ज किया जो कमशः इस प्रकार है, खसरा नंबर 2 रकबा 1.02 गैरमुमकिन नाला, खसरा नंबर 3 रकबा 1.50, खसरा नंबर 4 रकबा 1.25 व खसरा नंबर 7 रकबा 0.50 हेक्टेयर दर्ज किये। इन सभी खसरा नंबरान का रकबा लगभग 21 बीघा के करीब बनता है शेष रकबे का कोई नवीन मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाया गया है। संपूर्ण मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर ग्राम गोदावरी पेश किया जा रहा है।

8. यह कि खसरा नंबर 2 रकबा 1.06 हैक्टेयर गैरमुमकिन नाला है, खसरा नंबर 3 रकबा 1.50 हेक्टेयर पर पद्मा पत्नि प्रहलादसिंह खातेदार दर्ज है और खसरा नंबर 4 रकबा 1.25 हेक्टेयर व खसरा नंबर 7 रकबा 0.50 हेक्टेयर के रकबे 1.60 हेक्टेयर पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण अपने पिता स्वर्गीय श्री दुर्गालाल जी के समय से ही उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे थे और आज भी काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

9. यह कि जब तक दुर्गालाल जी जीवित रहे वे आवंटित आराजी को गैरखातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रयासरत रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण प्रसायरत है। इस प्रयास के तहत प्रार्थीगण ने दिनांक 21.02.2021, 14.06.2022 व 18.05.2022 को गैरखातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन कोई कार्यवाही अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई।

10. यह कि यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय दुर्गालाल का आवंटन आराजी खारिज नहीं किया गया है। प्रार्थीगण संपूर्ण बकाया आवंटन किश्तें एक साथ जमा करवाने को भी तैयार है।

11. यह कि प्रार्थीगण व उनके पूर्व उनके पिता दुर्गालाल का आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 2/9 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नंबर 4 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 7 रकबा 0.50 हेक्टेयर, वाके ग्राम गोदावरी तहसील माँगरोल पर सन 1982 से ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 2013 पेज 205 के अनुसार आवंटन के आधार पर आवंटी घोषणा का वाद पेश करके अपने पक्ष मे खातेदारी की घोषणा करवा सकता है।

12. यह कि नवीन मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाये जाने से शेष रकबे व अन्य भूमि पर मनमाने तरीके से राजस्व कर्मचारी काश्तकारों से जुर्माना वसूल कर रहे हैं जो पात्र है, उनके गैरखातेदारी दर्ज नहीं की जा रही है और जो पात्र नहीं है उनकी जुर्माने की रसीद काट दी जाती है जबकि उक्त व्यक्ति का कब्जा न जाने किस भू–भाग पर है।

13. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 2 लगातार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्व उनके पिता की भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रार्थीगण से कहता है कि यह भूमि प्रतिपक्षी क्रम 2 ने दुर्गालाल से क्रय कर ली है जिसका कोई सबूत उसके पास नहीं है। वैसे भी दुर्गालाल खातेदार ही नहीं थे, आराजी बेचान ही नहीं कर सकते थे और आराजी को बेचान भी नहीं किया है लेकिन ओमप्रकाशसिंह प्रतिपक्षी क्रम 2 ने एक फर्जी बेचान तहरीर बनाकर प्रार्थीगण की आराजी को जबरन हड़पना चाहता है। हमारी ज्वार की फसल ओमप्रकाश ने हांक दी थी तब हमने थाना सीसवाली मे दिनांक 22.07.2022 को उक्त घटना की रिपोर्ट की थी। उस समय उक्त अवैद्य झूठी बेचान तहरीर का पता चला जिसके लिए प्रार्थीगण पृथक से धोखाधड़ी के लिए इस्तगासा सक्षम न्यायालय में ओमप्रकाश के विरूद्ध पेश कर रहे हैं और उक्त फर्जी बेचान तहरीर के आधार पर थानाधिकारी ने ओमप्रकाशसिंह प्रतिपक्षी क्रम 2 के विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

14. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 2 के पास ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि प्रतिपक्षी क्रम 2 को प्रार्थीगण को काश्त करने से रोके, बाधक बने, इसलिए प्रतिपक्षी क्रम 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है ताकि प्रार्थीगण शांतिपूर्वक तरीके से काश्त कर सके।

15. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 1 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से भू–स्वामी है और उसका दायित्व बनता है कि प्रार्थीगण के नाम आवंटित आराजी की गैरखातेदारी दर्ज करे जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 के अधीनस्थ कर्मचारी अन्य व्यक्तियों से प्रार्थीगण की भूमि को काश्त कराने पर आमादा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

16. यह कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० के तहत दिनांक 23.09.2022 को नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से न्यायालय श्रीमान से धारा 80 (2) सी०पी०सी० के प्रावधानो के तहत अनुमति लेकर यह वाद पेश किया जा रहा है क्योंकि मियाद नोटिस दो माह का इन्तजार करने पर प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थीगण की आराजी पर काश्त कर सकता है। यह अभी प्रार्थीगण की भूमि खाली है। प्रार्थीगण सरसों बोने की तैयारी लगभग पूर्ण कर चुके हैं।

17. यह कि प्रार्थीगण लगभग सन 1982 से आवंटित्त आराजी खसरा नंबर 2/9 रकबा 10 बीघा भूमि पर लगभग 40 वर्षों से काबिज काश्त है और न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 2013 पेज 205 की रोशनी में प्रार्थीगण आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है और उनके पक्ष मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।

18. यह कि प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है, प्रार्थीगण के पिता को लगभग 40 वर्ष पूर्व खसरा नंबर 2/9 रकबा 10 बीघा आराजी ग्राम गोदावरी का आवंटन हुआ था, मौके पर जाकर नियमानुसार दखल दिया गया था तभी से लगातार विगत 40 वर्षों से प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं और अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रार्थीगण को यदि उक्त आराजी काश्त नहीं करने दी काश्त व्यवस्था में दखलअंदाजी की, या बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को तुलनात्मक क्षति ज्यादा होगी क्योंकि अप्रार्थीगण क्रम 2 का तो किसी प्रकार का टाइटल या कब्जा काश्त ही नहीं है। मात्र बलपूर्वक ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास कर रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमित क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित होगा।

19. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगे ।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण क्रम 2 के विरूद्ध इस आशय की प्रसारित की जावे कि वह उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 01.11.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है अपार्थी क्रम 2 स्वयं कोटा निवास करता है और लडाकू व झगडालू प्रार्थीगण है जो शराब के नशे में लडाई झगडा करते रहते हैं और किसी की भी भूमि पर कब्जा करने की प्रवृति के है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 2 प्रार्थीगण पिता दुर्गालाल के आवंटन से संबधित है स्वीकार है। लेकिन वर्तमान में आवंटन आराजी पर काबिज काश्त नहीं है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 3 में आवंटित आराजी पर दखल दिया हो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है ।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है ।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 5 में वर्णित आंवटन भूमि साबिक खसरा नम्बर 2/9 के हाल खसरा नम्बर 2, 3, 4, 7, 3/134, बने है जिस पर प्रार्थीगण कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे है और न ही उनके पिता के उक्त भूमि पर काश्त की है उक्त जानकारी कार्यालय तहसीलदार भू.अ0 मांगरोल के पत्र क्रमांक 2810 दिनांक 20.07.2022 में वर्णित है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अर्चना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 6 में दुर्गालाल की मृत्यु होना स्वीकार है तथा आवंटित भूमि पर गैरखातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र लगाया होगा लेकिन अगर आंवटित भूमि पर पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं है तो उनको गैरखातेदारी/खातेदारी दी ही नहीं जा सकती है तथा प्रार्थीगण के पिता के नाम आवंटन खारिज योग्य है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 7 रिकार्ड से संबंधित होने से आंशिक स्वीकार है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 8 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण के गैरखातेदारी प्रार्थना पत्र पर पटवारी हलका मौका रिर्पोट 11.07.2022 एवं तहसीलदार मांगरोल की तथ्यात्मक रिर्पोट दिनांक 20.7.2022 के अनुसार प्रार्थीगण आंवटित आराजी पर काबिज काश्त नहीं है आवंटित भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त है तथा रिर्पोट में स्पष्ट वर्णित किया है कि आवंटी द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है जिससे गैर खातेदारी नहीं दी जा सकती है एवं प्रार्थीगण को उक्त मौका रिर्पोट की जानकारी होने व आवंटन भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त होने की जानकारी होने के बाद भी उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और मात्र अप्रार्थी क्रम 2 को नाजायज परेशान करने के लिये पक्षकार बनाया जो गलत है तथा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 9 आंशिक स्वीकार है आवंटन भूमि पर गैरखातेदारी दर्ज कराने के लिये प्रयास करना सही है लेकिन आवंटन नियमो की पालना नहीं है तो अप्रार्थी क्रम 1 को उनके प्रार्थना पत्र खारिज करने का अधिकार सही है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 10 मे आवंटन खारिज नहीं किया स्वीकार है ।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 11 अस्वीकार है जब आंवटित भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो खातेदारी की घोषणा करदाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0.12 अस्वीकार है राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के आवंटन खसरा का नया खसरा नम्बर बना रखे है लेकिन प्रार्थीगण नाजायज परेशान करने व आंवटन की आड़ मे अप्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को आवंटन भूमि बताकर कब्जा करने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है जो खारिज योग्य है।
13. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0. 13 आंशिक स्वीकार है अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थीगण के आवंटन भूमि पर कब्जा नहीं किया है और न ही वर्तमान में काबिज काश्त है अप्रार्थी क्रम 2 के कब्जा काश्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 12 रकबा 0.83 हेक्टयर वाके गोदावरी है जिससे आवंटन भूमि का कोई वास्ता नहीं है और प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 2 की इस भूमि को आवंटन भूमि बताकर दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं जो कि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
14. यह कि प्रार्थना पत्र की मद 14 अस्वीकार है। ब्लकि प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 2 को परेशान कर रहे हैं तथा अप्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि में दखल दे रहे हैं। शेष विवरण विशेष आपत्तियो में दर्ज है।
15. यह कि प्रार्थना पत्र की मद 14 कानूनी है।
16. यह कि प्रार्थना पत्र की मद 14 कानूनी है।
17. यह कि प्रार्थना पत्र की मद 14 अस्वीकार है।
18. यह कि प्रार्थना पत्र की मद 14 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है आवंटन भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है जिनको पक्षकार नहीं बनाया और अप्रार्थी आवंटन भूमि से अन्य भूमि पर काबिज काश्त है जिस पर अप्रार्थी करीबन 30–35 वर्षों से काबिज काश्त है। वर्तमान में अप्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.83 पर सरसों की फसल है जिसको प्रार्थीगण नष्ट करने पर आमादा है। जब प्रार्थीगण का आंवटन भूमि पर कब्जा नहीं है और न ही खातेदार/गैरखातेदार दर्ज है तो आवंटन भूमि से अलग अन्य सरकारी भूमि जो अप्रार्थी के कब्जे काश्त की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

रावत

Scanned by CamScanner

है पर प्रथम दृष्टया या सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में है शेष विवरण विशेष आपत्तियों मे दर्ज है।
प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष कथन व आपत्तियां :-

1. यह कि अप्रार्थी क्रम 2 ग्राम गोदावरी के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.69 हेक्टयर पर काबिज काश्त है जो कि उक्त भूमि सरकारी सिवाय चक बंजड भूमि है जिस पर अप्रार्थी क्रम 2 30-35 वर्षो से अतिक्रमी काबिज काश्त है तथा प्रत्येक वर्ष जुर्माना राशि जमा कराता आ रहा है जिस पर वर्तमान में सरसों की फसल कर रखी है तथा उक्त भूमि से प्रार्थीगण की आवंटन भूमि का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है ।
2. यह कि प्रार्थीगण के पिता दुर्गालाल को ग्राम गोदावरी के पुराने खसरा नम्बर 2/9 पर आवंटन/नियमन किया गया था जिसके सैटलमेन्ट बाद हाल खसरा नम्बर 2, 3, 4, 7, 3/134, बनाये गये है तथा जिस पर प्रार्थीगण का कही भी कब्जा काश्त नही है तथा प्रार्थीगण व उसके पिता द्वारा आवंटन भूमि पर गैरखातेदारी दर्ज करने के लिये कई बार प्रार्थना पत्र लगाया लेकिन आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण उनको गैरखातेदारी दर्ज नहीं की गई है। जो सही है।
3. यह कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन भूमि बाबत गैर खातेदारी दर्ज करने के लिये श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिर्पोट दिनांक 11.07.2022 एवं तहसीलदार कार्यालय से तथ्यात्मक रिर्पोट दिनांक 20.07.2022 श्रीमान के यहा पेश की जिसमे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीगण की आवंटीत भूमि पुराने खसरा नम्बर 2/9 के नये खसरा नम्बर 2, 3, 4, 7, 3/134 दर्ज हुये और प्रार्थीगण काबिज काश्त नहीं है हाल खसरा नम्बर की मौका स्थिति मे खसरा नम्बर 2 पर मन्नालाल गुर्जर खसरा नम्बर 3 पर खातेदारी में दर्ज खसरा 4 पर प्रहलाद पुत्र भंवरसिंह खसरा नम्बर , पर अभिमन्यु खसरा नम्बर 3/134 पर बृजराजसिंह का कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी क्रम 2 का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 12 पर है जिससे आवंटित भूमि का कोई वास्ता नहीं है।
4. यह कि प्रार्थीगण ने आवंटन नियमों का पालना नहीं किया और अपनी आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की तथा आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और न उनको पक्षकार बनाया लेकिन अप्रार्थी जो कोटा निवास करता है की कब्जा काश्त भूमि को हडपने की नीयत से आवंटन भूमि की आड में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है जो काबिले खारिज योग्य है।
5. यह कि अप्रार्थी क्रम 2 शांतिप्रिय व्यक्ति है जो अपने खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त कर रहा है जिसको प्रार्थीगण की भूमि से कोई वास्ता नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जाने का आदेश प्रदान करें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

**01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन**

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा श्री दुर्गालाल के नाम आवंटित ग्राम गोदावरी तहसील मांगरोल के सांबिक खसरा नं. 2/9 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नं. 4 रकबा 1.25 हे0, खसरा नं. 7 रकबा 0.50 हे0 आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करने हेतु अप्रार्थी कम 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी प्रार्थीगण के पति/पिता श्री दुर्गालाल के नाम आवंटित हुई थी। प्रार्थीगण का परिवार वक्त आवंटन से आवंटित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी कम 2 लगातार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण से पूर्व उनके पिता की भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रार्थीगण से कहता है कि यह भूमि मैनें श्री दुर्गालाल से कय की है। किन्तु अप्रार्थी कम 2 के पास ऐसा कोई सबुत/दस्तावेज नही है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ तहसीलदार की एक मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी जो उसे आवंटित हुई थी पर कब्जा काश्त नही है और उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया केस नहीं बनने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नही समझता है।

2. **अपूरणीय क्षति** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है।। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबितनही होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner